



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272783
CG-DL-E-22052026-272783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2503]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2026/वैशाख 31, 1948

No. 2503]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2026/VAISAKHA 31, 1948

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2026

का.आ. 2595(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 तथा नियम 7 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श से, निम्नलिखित सदस्य को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नामनिर्दिष्ट करती है तथा उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 582 (अ), तारीख 13 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“8. माननीय श्री न्यायमूर्ति रवीन्द्र वि. घुगे,

न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

— सदस्य”

[फा. सं. ए- 60011/4/2015 – एलएपी (जेयूस)/2]

सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 582 (अ), तारीख 13 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संख्या का.आ. 5539 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2025 द्वारा संशोधित हुई थी।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2026

S.O. 2595(E).— In pursuance of sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), read with rules 3 and 7 of the National Legal Services Authority Rules, 1995, the Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, nominates the following Member to the National Legal Services Authority and for that purpose hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 582 (E), dated the 13th August, 1997, namely:—

In the said notification, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“8. Hon'ble Mr. Justice Ravindra V. Ghuge,

Judge, Bombay High Court

and Executive Chairman,

Maharashtra State Legal Services Authority

—Member”.

[F. No. A-60011/4/2015-LAP (JUS)/2]

SURESH KUMAR, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 582(E), dated the 13th August, 1997 and lastly amended *vide* number S.O. 5539(E), dated the 1st December 2025.